

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

Website- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा//DLB/SBM/2017-18/ 13 225

दिनांक : 25-9-17

:स्वीकृति आदेश:

राज्य के नगर निगमों को वर्ष 2017-18 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालयों (CT) एवं सार्वजनिक शौचालयों (PT) हेतु प्रथम आवंटन के रूप में कुल राशि रुपये 1019.60 लाख (अक्षरे रुपये दस करोड़ उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) उक्त नगर निगमों के इस परियोजनार्थ खोले गये संबंधित बैंक खाते में निम्नानुसार हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम नगर निगम	श्रेणी	जनसंख्या 2011 के अनुसार	Activity Head - CT			Activity Head - PT			Total CT & PT (7+10)
				GOI Share (75%)	GOR Share (25%)	Total (5+6)	GOI Share (75%)	GOR Share (25%)	TOTAL (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अजमेर		542321	168.88	56.30	225.18	56.25	18.75	75.00	300.18
2	भरतपुर		252838	18.74	6.24	24.98	6.11	2.03	8.14	33.12
3	बीकानेर		644406	75.14	25.04	100.18	45.00	15.00	60.00	160.18
4	जयपुर		3046163	164.23	54.74	218.97	53.32	17.77	71.09	290.06
5	जोधपुर		1056191	48.26	16.09	64.35	21.76	7.25	29.01	93.36
6	कोटा		1001694	55.48	18.49	73.97	19.62	6.54	26.16	100.13
7	उदयपुर		451100	22.18	7.39	29.57	9.75	3.25	13.00	42.57
	योग		6994713	552.91	184.29	737.20	211.81	70.59	282.40	1019.60

हस्तांतरित राशि का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे। किसी भी स्थिति में अन्य गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जावे। इस हेतु पृथक से लेखांकन सुनिश्चित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों/ राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।


(पवन अरोडा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा//DLB/SBM/2016-17/ 13 226-475 दिनांक : 25-9-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

03. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर ।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त भवन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
05. निजी सचिव, राज्य मिशन निदेशक ,स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान, जयपुर ।
06. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर ।
08. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
09. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
10. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
11. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर ।
13. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय को भेजकर लेख है कि आवंटित राशि का उपयोग सभी निकायो द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं मॉनेटरिंग की जावे । पत्रावली समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित की जावे ।
14. शाखा प्रबंधक, ICICI Bank ,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची अनुसार संबंधित नगर निकाय के बैंक खाते में राशि अविलम्ब हस्तांतरित करने की सुनिश्चिता करें ।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हस्तांतरित कि जा रही राशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार व्यय करते हुये यू.सी. इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चिता करें ।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर ।
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आयोजना/आयोजना भिन्न)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय ।
18. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेब साईट, निदेशालय को अपलोड करने हेतु ।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय
20. सुरक्षित पत्रावली ।


 (हुलास राय पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी